न्यायालय अपीलाण्ट अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) आबूरोड
बइजलास अरविन्द शर्मा आर0ए0एस0

अपीलाण्टगण:–

1. सोना पुत्र श्री मेघा आयु 50 वर्ष जाति भील निवासी गणका आबूरोड।
2. लखमा उर्फ लक्ष्मण पुत्र श्री मेघा आयु 55 वर्ष जाति भील निवासी गणका आबूरोड।
3. मफाराम पुत्र स्व. श्री भूरा आयु 44 वर्ष जाति भील निवासी गणका आबूरोड।
4. नेना पुत्री स्व. श्री भूरा आयु 31 वर्ष जाति भील निवासी गणका आबूरोड।
5. राधा पुत्री स्व. श्री भूरा उम्र बालिंग जाति भील निवासी गणका आबूरोड।
6. लक्ष्मण पुत्र दिवाली आयु 52 वर्ष जाति भील निवासी भील बस्ती आबूरोड

अपीलाण्टगण जरिये आम मुख्यातर श्री अनिल कुमार पुत्र श्री शंकरलाल आयु 30 वर्ष जाति भील निवासी गांधीनगर आबूरोड।

बनाम

रेस्पोडेन्ट:–

1. श्री मफाजी पुत्र कानाजी जाति भील उम्र 44 वर्ष निवासी गांव काकवाडा तहसील अमीरगढ जिला बनासकांठा (गुजरात)।
2. श्री सरपंच ग्राम पंचायत गणका तहसील आबूरोड

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट बविरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 552 ग्राम पंचायत प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 12.6.2010

अपील संख्या 03 / 2022
दिनांक:–06.09.2022

सहायक कलेक्टर आबूरोड (जिला-सिरोही)

:: निर्णय ::

अपीलाण्ट ने जरिये अधिवक्ता अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्व भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत बविरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 552 ग्राम पंचायत प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 12.6.2010 मौजा गणका पटवार क्षेत्र मानपुर तहसील आबूरोड विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि मौजा गणका पटवार मण्डल मानपुर तहसील आबूरोड में निम्नलिखित कृषि भूमि स्थित है।

क्र.स.	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
1	835	1.02 बीघा	नहरी–1
2	838	4.05 बीघा	नहरी–1
3	837	02.02 बीघा	नहरी–1
	कुल किता 3	07.09 बीघा	

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड कार्यालय आबूरोड

उक्त कृषि भूमि अपीलाण्टगण की भूमि है। खातेदार भूरा की मृत्यु होने से उसके वारिसान अपील पेश कर रहे है। तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत आकराभटटा द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। तत्पश्चात गणका ग्राम पंचायत अलग से बन जाने एवं उक्त कृषि भूमि गणका ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में आ जाने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के विरूद्ध अपील पेश कर रहे है।

अपीलाण्टगण ने रेस्पोडेन्ट संख्या एक के हक में दिनांक 22.10.2010 को उक्त कृषि भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख के विक्रय की। विक्रय विलेख पंजीयन के पश्चात् उप पंजीयक आबूरोड के पंजीयन नियम 39 के तहत विभागीय पत्रांक 4275–4676 दिनांक 09.07.2009 के बिन्दु संख्या 57 की पालना में पंजीयन किया एवं बिन्दु संख्या 61 के अनुसार उक्त पंजीयन शून्य होने का नोट अंकित कर दिया, जिसका मालुमात करने पर ज्ञात हुआ कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक काकवाडा तहसील अमीरगढ गुजरात का मूलनिवासी है, जिसे उक्त कृषि भूमि जो गणका तहसील आबूरोड राजस्थान में स्थित है को क्रय करने का अधिकार नही होने से विक्रय विलेख विधि के तहत शून्य होने के कारण उप पंजीयक आबूरोड ने शून्य होने का नोट अंकित किया है।

विक्रय विलेख शून्य एवं प्रभावहीन होने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या एक को अपीलाण्टगण ने विक्रय प्रतिफल की राशि पुनः अदा कर दी, एवं मौके पर कब्जा रेस्पोडेन्ट संख्या एक को सुपुर्द नही किया। आज भी उक्त कृषि भूमि पर कब्जा अपीलाण्टगण का है। भूमि पर अपीलाण्टगण के देवी देवताओ का थान बना हुआ है, जहां दैनिक रूप से अपीलाण्टगण पूजा पाठ इत्यादि करते है।

यहकि आज से करीब 1–2 माह पूर्व रेस्पोडेन्ट संख्या एक उक्त कृषि भूमि विक्रय करने हेतु 2–3 व्यक्तियो को लेकर आया एवं बताया कि रेवेन्यु रेकर्ड में रेस्पोडेन्ट संख्या एक का नाम दर्ज होने से रेस्पोडेन्ट संख्या एक उक्त भूमि विक्रय करेगा जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या एक को याद दिलाया कि उसके हक में किया गया विक्रय विलेख शून्य एवं प्रभावहीन होने के कारण उसे विक्रय विलेख के समय कब्जा नही दिया एवं प्रतिफल राशि भी वापस दे दी परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या एक के मन में खोट आ जाने के कारण उक्त भूमि विक्रय करने की कोशिश करने पर मालूमात किया तो ज्ञात हुआ कि रेवेन्यु रेकर्ड जमाबंदी में रेस्पोडेन्ट संख्या एक का नाम दर्ज है जिस पर अपीलाण्टगण ने नामान्तरकरण की नकल प्राप्त की तब ज्ञात हुआ कि रेस्पोडन्ट संख्या दो ने रेस्पोडेन्ट संख्या एक से मिलीभगत कर विक्रय विलेख शून्य होने का पटवारी द्वारा इन्द्राज करने के बावजूद नामान्तरकरण तत्कालीन ग्राम पंचायत आकराभटटा द्वारा प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 12.06.2010 को लेकर नामान्तरकरण दर्ज कर दिया है जो कानूनन गलत किया है।

उपखण्ड अधिकारी
कार्यालय आबूरोड

यहकि विधि के तहत शून्य एवं प्रभावहीन विक्रय विलेख पत्र संख्या 1019 दिनांक 22.4.2010 का कोई वजूद नही होते हुए एवं मौके पर काबिज भी नही होते हुए नामान्तरकरण स्वीकृत किया है, जो कानूनन गलत होने के कारण उक्त नामान्तरकरण आदेश को अपास्त करवाने हेतु निवेदन किया है।

अपीलाण्ट की अपील पर यह न्यायालय प्रथम दृष्टया सहमत होने से अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्टो को नोटिस जारी किये। रेस्पोडेण्ट संख्या एक को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तामिल हेतु भेजा गया परन्तु रेस्पोडेण्ट संख्या एक ने रजिस्टर्ड नोटिस लेने से मना करने के कारण रेस्पोडेण्ट संख्या एक की तामिली मानी गई। साथ ही न्यायालय मे पेशी दिनांक पर उपस्थित होने हेतु तीन तीन बार आवाज लगाने के बावजूद भी न्यायालय मे उपस्थित नही होने के कारण रेस्पोडेण्ट संख्या एक के विरूद्ध एक तरफा कार्रवाई के आदेश पारित किये गये। रेस्पोडेण्ट संख्या दो को जारी नोटिस तामिल शुदा प्राप्त । रेस्पोडेण्ट संख्या दो की ओर से उनके अधिवक्ता श्री सोहन सैन उपस्थित आये। अधिवक्ता श्री सोहन सैन ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत नही कर बहस करने का कथन किया जिसे स्वीकार किया गया।

हमने उभय पक्षीय बहस को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। बहस के दौरान अपीलाण्ट अधिवक्ता श्री जितेन्द्र सुराणा द्वारा श्रीमान मुख्य सचिव महोदय राजस्थान सरकार राजस्व विभाग का परिपत्र कमांक 3(6)राज.6/09 दिनांक 11.02.2009 पेश किया और कथन किया परिपत्र अनुसार "Sale gift or bequest of lands belonging to members of scheduled castes/ scheduled Tribes in favour of any person who is not a resident of rajasthan and not included in part 14 of the constitution (scheduled castes) order 1950 or part 12 of the constitution (scheduled Tribes) order 1950 , as the case may be, would be void under section 42 of the Rajasthan Tenancy Act 1955."

साथही विक्रय लेख पत्र 1019/22.04.2010 पर उप पंजीयक आबूरोड का नोट "अन्तर्गत पंजीयन नियम 39 विभागीय पत्र कमांक 4275–4676 दिनांक 09.07.2009 के बिन्दु संख्या 57 की पालना मे पंजीयन किया गया। जो बिन्दु संख्या 61 के अनुसार उक्त व्यवहार (पंजीयन) शून्य है।" भी अंकित है।

इसलिये अपीलाण्ट की अपील स्वीकार फरमाने एवं मौजा गणका पटवार हल्का मानपुर तहसील आबूरोड का नामान्तकरण संख्या 552 निरस्त करवाने एवं अपीलाण्टगण का नाम पुनः राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करवाने के आदेश प्रदान करवाने का कथन किया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड कार्यालय आबूरोड

हमने बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं राजस्व विभाग के परिपत्र कमांक 3(6)राज.6/09 दिनांक 11.02.2009 का अवलोकन किया। श्रीमान मुख्य सचिव राजस्थान सरकार राजस्व विभाग का परिपत्र कमांक 3(6)राज.6/09 दिनांक 11.02.2009 के कम मे एवं उप पंजीयक आबूरोड का विकय लेख पत्र 1019/22.04.2010 पर ''अन्तर्गत पंजीयन नियम 39 विभागीय पत्र कमांक 4275–4676 दिनांक 09.07.2009 के बिन्दु संख्या 57 की पालना मे पंजीयन किया गया। जो बिन्दु संख्या 61 के अनुसार उक्त व्यवहार (पंजीयन) शून्य है।'' अंकित नोट के मध्यनजर विकय लेख पत्र 1019/22.04.2010 की अनुपालना मे मौजा गणका पटवार हल्का मानपुर के खसरा नंबर 835, 838 एवं 837 कुल किता 3 कुल रकबा 07 बीघा 09 विस्वा का रेस्पोडेण्ट संख्या एक के नाम दायर नामान्तकरण संख्या 552 को प्रभाव शून्य/निरस्त घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

यहकि श्रीमान मुख्य सचिव राजस्थान सरकार राजस्व विभाग का परिपत्र कमांक 3(6)राज.6/09 दिनांक 11.02.2009 के कम मे एवं उप पंजीयक आबूरोड के विकय लेख पत्र 1019/22.04.2010 पर अंकित नोट के कम मे ''अन्तर्गत पंजीयन नियम 39 विभागीय पत्र कमांक 4275–4676 दिनांक 09.07.2009 के बिन्दु संख्या 57 की पालना मे पंजीयन किया गया। जो बिन्दु संख्या 61 के अनुसार उक्त व्यवहार (पंजीयन) शून्य है।'' के मध्यनजर अपीलाण्ट की अपील स्वीकार की जाती है। मौजा गणका पटवार हल्का मानपुर के खसरा नंबर 835, 838 एवं 837 कुल किता 3 कुल रकबा 07 बीघा 09 विस्वा का रेस्पोडेण्ट संख्या एक के नाम दायर नामान्तकरण संख्या 552 को प्रभाव शून्य/निरस्त घोषित किया जाता है।

अपीलाण्ट अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी) आबूरोड

आदेश आज दिनांक 06.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपीलाण्ट अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी) आबूरोड